न्यायालय सत्र न्यायाधीश,कक्ष संख्या– 06,देवरिया।

सत्र परीक्षण संख्या– 212/2019,
मुकदमा अपराध संख्या– 142/2019
राज्य –प्रति– पिन्टु राजभर व अन्य
धारा–302/34 भा0दं0सं0
थाना– लार, जनपद देवरिया।

आ दे श

25–10–2019

आज पत्रावली पेश हुई। पुकार कराया गया । अभियुक्तगण पिण्टू राजभर व मुकेश राजभर न्यायालय मे उपस्थित आये। उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित । आरोप पर उनके विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना गया ।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन केस का विस्तार से वर्णन किया गया तथा अभियोजन अभिलेखों से संदर्भित किया गया एवं यह तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–302 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुनने एवं पत्रावली पर दाखिल एफ0 आई0 आर, तहरीर वादी, केस डायरी व अन्य पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस मत का हूँ कि अभियुक्तगण पिण्टू राजभर व मुकेश राजभर के विरूद्ध धारा–302/34 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार है, तदनुसार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध, उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप अलग से विरचित किया जाता है।

आरोप पत्र मे अंकित अभियोजन साक्षीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाये। अभियोजन पक्ष आवश्यक पैरवी करें । पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनॉक– को पेश हों।

(नवीन कुमार सिह)
अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–06, देवरिया।

दिनांक 25–10–2019

न्यायालय सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 कक्ष संख्या– 28,देवरिया।

सत्र परीक्षण संख्या– 212/2019,
मुकदमा अपराध संख्या– 142/2019
राज्य –प्रति– पिन्टु राजभर व अन्य
धारा–302/34 भा0दं0सं0
थाना– लार, जनपद देवरिया।

आरोपः

मैं, **नवीन कुमार सिह**, अपर सत्र न्यायाधीश,कक्ष संख्या–06, देवरिया आप/अभियुंक्तगण

01– पिण्टू राजभर
02– मुकेश राजभर

के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप विरचित करता हूॅ :–

प्रथम :– यह कि दिनॉक– 06–07–2019 को समय करीब 6–00 बजे शाम वहद स्थान न्यू कालोनी गयागीर वार्ड कस्बा लार, थाना–लार, जिला देवरिया पर वादी मुकदमा गिरजेश राजभर के पुत्र सुग्रीव राजभर को आपने अपने सह अभियुक्त के साथ मिलकर ईटो से उसके सिर व चेहरे पर चोट पहुॅचाकर उसकी हत्या कर दिए। इस प्रकार आपलोगो ने भा0दं0सं0 की धारा 302/34 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपलोगो को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप के अन्तर्गत आपलोगो का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा ।

दिनांक/देवरियाः
अक्टूबर 25, 2019

(नवीन कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष स0–06, देवरिया ।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे उसने इन्कार किया तथा विचारण की मॉग की ।

दिनांक/देवरियाः
अक्टूबर 25, 2019

(नवीन कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष स0–06, देवरिया ।